भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2523

10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय:- कृषि क्षेत्र में नई नीतिगत पहल

2523. श्री टी. आर. बालू:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने नई केंद्र सरकार का कार्यभार संभालने के पश्चात् देश में कृषि के तीव्र और व्यापक विकास के लिए कोई नई नीतिगत पहल और तदनुरूप नए कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछली नीति की रूपरेखा की कमियों सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) नई नीति किसानों के लिए किस प्रकार कल्याणकारी होगी;

(घ) क्या सरकार किसानों को निःशुल्क बिजली देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कृषि राज्य का विषय है, इसलिए भारत सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत उचित नीतिगत उपायों और बजटीय आवंटन के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता देकर किसानों के कल्याण के लिए हैं। देश में कृषि के तीव्र और व्यापक विकास के लिए, नई सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को मंजूरी दी है:

i. **स्वच्छ पौध कार्यक्रम:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 09.08.2024 को 1765.67 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वच्छ पौध कार्यक्रम (सीपीपी) को मंजूरी दी। सीपीपी का उद्देश्य रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करके बागवानी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाना है और इससे उपज में वृद्धि के साथ जलवायु अनुकूल किस्मों के प्रसार और अपनाने में लाभ होगा।

ii. **डिजिटल कृषि मिशन**: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 2.9.2024 को 2817 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी, जिसमें 1940 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। इस मिशन की परिकल्पना डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में

की गई है, जैसे कि डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (डीजीसीईएस) को कार्यान्वित करना और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा अन्य आईटी पहलों को आगे बढ़ाना।

iii. **कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का प्रगतिशील विस्तार**: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और मजबूत करने तथा पात्र परियोजनाओं के दायरे का विस्तार करके और एक मजबूत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायक उपायों को एकीकृत करके कृषक समुदाय का समर्थन करने के लिए दिनांक 28.8.2024 को कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी। विस्तारित दायरे में सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं, एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाओं, पीएम कुसुम 'क' के अभिसरण के तहत कवर किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए व्यक्तिगत पात्र लाभार्थियों को अनुमति देना शामिल है।

iv. **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- तिलहन (एनएमईओ-तिलहन):** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 3.10.2024 को 10,103 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इस मिशन को वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक सात साल की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा।

v. **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 25.11.2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी। इस योजना का कुल परिव्यय 2481 करोड़ रुपये है (भारत सरकार का हिस्सा - 1584 करोड़ रुपये; राज्य का हिस्सा - 897 करोड़ रुपये)।

इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

i. राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (एनपीएसएस)
ii. एग्रीश्योर - स्टार्ट अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड
iii. कृषि निवेश पोर्टल (चरण-I)
iv. कृषि-डीएसएस पोर्टल - भारतीय कृषि के लिए एक भू-स्थानिक मंच
v. विभिन्न स्थायी कृषि पद्धतियों के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) की शुरूआत

(घ) एवं (ड.): इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****